न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–190 / 2014

श्री अरूण कुमार सिंह वगैरह.....वादीगण

बनाम

उमा शंकर त्रिवेदी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

28.11.23 अभिलेख आज वादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–19.08.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी ने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किया है जो तीस वर्ष से अधिक पुराना है तथा लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं जिसे प्रदर्श अंकित किया जाना आवश्यक है तथा कुछ दस्तावेज जो पूर्व में प्रदर्श हुआ था उसका प्रदर्श गलती से गलत दर्ज हो गया है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन को स्वीकृत कर उपरोक्त दस्तावेज का प्रदर्श में सुधार करते हुए शेष बचे दस्तावेज को प्रदर्श अंकित किए जाने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है तथा वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं तथा प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श अंकन के संबंध में कोई विरोध पत्र दाखिल नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा दस्तावेज में प्रदर्श अंकन का सुधार करते हुए विभाजन वाद सं0–135 / 1915 के वादपत्र आदेशफलक को प्रदर्श–3, फाईनल डिक्री को प्रदर्श–4, विक्रयविलेख दिनांक–27.01.2012 को प्रदर्श–5 अंकित करते हुए शेष बचे दस्तावेज में वादपत्र की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–6, बयान तहरीर की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–7, वाद–विषय की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–8 तथा संधिपत्र की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–9 अंकित किया जाता है। वादी अगली निश्चित से साक्ष्य हेतु प्रस्तुत रहें।

अभिलेख दिनांक– 23-01-2025 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।